अनुदान संख्या 103 – महिला और बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 103–MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	5853,00,00		5853,02,00	5595,56,96	–257,45,04
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					269,62,48

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, अभ्यर्पित राशि (26962.48 लाख रु.) 25745.04 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the amount surrendered (Rs.26962.48 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.25745.04 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष ''2235'' सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare					
मू.	O.	42778.00				
पू.	S.	1.00		27582.27	28208.76	+626.49
पु.	R.	–15196.73				
मुख्य शीर्ष ''2236'' पोषण	Major Head "2236" Nutrition					
मू.	O.	1385.00				
पू.	S.	1.00		1475.23	1485.18	+9.95
पु.	R.	89.23				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	57930.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–57930.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	475764.00	525471.04	526160.62	+689.58
पु.	R.	49707.04			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	6343.00	2751.63	2642.45	–109.18
पु.	R.	–3591.37			

(I) 70321.00 लाख रु. का प्रावधान चवालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 69189.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" -

(क) "बाल कल्याण" -

(i) "एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम" - 950.00 लाख रु.; और

(ii) "बीमा सुरक्षा सहित बालिकाओं के लिए सशर्त नगद अंतरण स्कीम" - 1350.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.70321.00 lakhs remained wholly unutilised under forty four heads; of these Rs.69189.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare" -

(a) "Child Welfare" -

(i) "Integrated Child Protection Scheme" - Rs.950.00 lakhs; and

(ii) "Conditioned Cash Transfer Scheme for Girl Child with Insurance cover"– Rs.1350.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''महिला कल्याण'' -

(i) ''महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार का सामना करने के लिए व्यापक स्कीम'' - 900.00 लाख रु. स्कीम को प्रारंभ करने में विलंब होने के कारण थे।

(ii) ''प्रियदर्शिनी'' - 1000.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(iii) ''लिंग आधारित बजट व्यवस्था'' - 270.00 लाख रु. व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''समाज कल्याण - बाल कल्याण'' -

(i) ''कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम'' - 1000.00 लाख रु.;

(ii) ''एकीकृत बाल विकास सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान'' - 900.00 लाख रु.;

(iii) ''एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 52300.00 लाख रु.;

(iv) ''एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम'' - 950.00 लाख रु.;

(v) ''बीमा सुरक्षा सहित बालिकाओं के लिए सशर्त नकद अंतरण स्कीम'' - 150.00 लाख रु.;

(ख) ''समाज कल्याण - महिला कल्याण'' -

(i) ''कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास'' - 150.00 लाख रु.;

(ii) ''अल्पवास गृह'' - 160.00 लाख रु.;

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalisation of the schemes owing to non-receipt of approval from the competent authority.

(b) "Women's Welfare" -

(i) "Comprehensive Scheme for combating Trafficking of Women and Children" - Rs.900.00 lakhs - due to delay in launching of the scheme.

(ii) "Priyadarshini" - Rs.1000.00 lakhs- due to delay in receipt of approval of the scheme.

(iii) "Gender Budgeting" - Rs.270.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Social Welfare-Child Welfare" -

(i) "Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mother" – Rs.1000.00 lakhs;

(ii) "Grants under Training Programme of ICDS" – Rs.900.00 lakhs;

(iii) "Integrated Child Development Services" - Rs.52300.00 lakhs;

(iv) "Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" - Rs.950.00 lakhs;

(v) "Conditioned Cash Transfer Scheme for Girl Child with Insurance cover" – Rs.150.00 lakhs;

(b) "Social Welfare – Women's Welfare" -

(i) "Hostels for Working women" - Rs.150.00 lakhs;

(ii) "Short Stay Home" - Rs.160.00 lakhs;

(iii) ''प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता'' - 200.00 लाख रु.;

(iv) ''केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड'' - 290.00 लाख रु.;

(v) ''स्वाधार'' - 150.00 लाख रु.;

(vi) ''स्वयंसिद्ध'' - 509.00 लाख रु.;

(ग) ''समाज कल्याण - अन्य व्यय - सूचना, जनशिक्षा और प्रकाशन'' - 150.00 लाख रु.; और

(घ) ''समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के अपसमायोजन की रोकथाम और नियंत्रण'' - 210.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम'' - 5400.00 लाख रु.; और

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम'' - 2200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''बाल कल्याण'' -

(iii) "Support to Training and Employment Programme" – Rs.200.00 lakhs;

(iv) "Central Social Welfare Board" – Rs.290.00 lakhs;

(v) "Swadhar" - Rs.150.00 lakhs;

(vi) "Swayamsiddha" – Rs.509.00 lakhs;

(c) "Social Welfare – Other Expenditure-Information, Mass Education and Publication – Rs.150.00 lakhs; and

(d) "Social Welfare – Correctional Services-Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" – Rs.210.00 lakhs.

Provisions under the above thirteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amounts.

(C) Major Head "3601" - Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Social Welfare – Child Welfare - Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" - Rs.5400.00 lakhs; and

(D) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Social Welfare – Child Welfare - Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" - Rs.2200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of viable proposals from State/Union Territory Governments.

(II) Under Major Head "2235" - Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Child Welfare" -

(क) ''कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम'' - 300.00 लाख रु. की बचत (10300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 4518.13 लाख रु. की बचत (5550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित संगठनों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) ''केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण'' - 128.00 लाख रु. की बचत (330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठन से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग'' - 460.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयोग के पूर्ण क्षमता से कार्य न करने के कारण हुई।

(ङ) ''एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - 398.65 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''महिला कल्याण'' -

(क) ''महिलाओं के लिए सघन शिक्षण पाठ्यक्रम'' - 258.91 लाख रु. की बचत (630.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास'' - 1107.72 लाख रु. की बचत (1348.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) ''जागरूकता परियोजनाएं'' - 220.64 लाख रु. की बचत (540.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mothers" - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10300.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient number of viable proposals.

(b) "Integrated Child Development Services" – saving of Rs.4518.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5550.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from the concerned organisations.

(c) "Central Adoption Resource Agency (CARA)" - saving of Rs.128.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.330.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the origanisation.

(d) "National Commission for Protection of Child Rights" - saving of Rs.460.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-working of the commission in full strength.

(e) "ICDS Training Programme" - saving of Rs.398.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-organising of training programme at National level.

(B) "Women's Welfare" -

(a) "Condensed Courses of Education for Women" - saving of Rs.258.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.630.00 lakhs);

(b) "Hostels for Working Womens" - saving of Rs.1107.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1348.00 lakhs); and

(c) "Awareness Projects" - saving of Rs.220.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.540.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(घ) ''केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड'' - 414.13 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.25 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3532.25 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमावर्ती क्षेत्र परियोजनाओं के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ङ) ''स्वयंसिद्ध'' - 1647.45 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वयंसिद्ध चरण-I और चरण-II के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''अनुसंधान, प्रकाशन और अनुवीक्षण'' - 261.73 लाख रु. की बचत (315.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''विविध स्कीमें'' - 392.15 लाख रु. की बचत (631.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पर्याप्त संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान'' - 1856.82 लाख रु. की बचत (7300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - महिला कल्याण - स्वयंसिद्ध'' - 503.00 लाख रु. की बचत (2481.00 लाख रु. के स्वीकृत

Savings under the above three heads were due to non-receipt of sufficient number of viable proposals.

(d) "Central Social Welfare Board" - saving of Rs.414.13 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3532.25 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh obtained in March, 2008) was due to less requirement of funds under Border Area Projects.

(e) "Swayamsiddha" - saving of Rs.1647.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of demands from States/Union Territory Governments under Swayamsiddha phase-I and phase-II.

(C) "Other Expenditure" -

(a) "Research, Publication and Monitoring" - saving of Rs.261.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.315.00 lakhs); and

(b) "Miscellaneous Schemes" - saving of Rs.392.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.631.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of sufficient number of viable proposals.

(III) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes - Social Welfare - Child Welfare - Grants under Training Programme of ICDS" - saving of Rs.1856.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7300.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from the State Governments.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare – Women's Welfare-Swayamsidha" - saving of Rs.503.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2481.00 lakhs) was

प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं" - 1193.37 लाख रु. की बचत (3730.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों का अपसमायोजन से बचाव और नियंत्रण" - 124.53 लाख रु. की बचत (210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 169.41 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 80 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (215.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - बाल कल्याण - राष्ट्रीय जन-सहयोग और बाल विकास संस्थान" के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 214.40 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2236" - "सामान्य - पोषण शिक्षण और विस्तार - पोषण में एकीकृत शिक्षण" - 193.94 लाख रु. का अधिक व्यय (630.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

due to receipt of less demands from State Governments.

(IV) Under Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Social Welfare - Child Welfare - Integrated Child Development Services" - saving of Rs.1193.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3730.00 lakhs); and

(B) "Social Welfare – Correctional Services - Prevention & Control of Juvenile Maladjustments" - saving of Rs.124.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.210.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals from Union Territory Governments.

(V) Under two heads savings of Rs.169.41 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent and 80 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.215.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head "2235" - "Social Welfare - Child Welfare - National Institute of Public Co-operation and Child Development". Actual excess, however, was Rs.214.40 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2236" - "General - Nutrition Education and Extension - Integrated Education in Nutrition" - excess of Rs.193.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.630.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 57792.78 लाख रु. का अधिक व्यय (458820.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और प्रतिबद्ध व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों का अपसमायोजन से बचाव और नियंत्रण'' - 466.66 लाख रु. का अधिक व्यय (1660.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 55.69 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 133 प्रतिशत था।

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Social Welfare – Child Welfare - Integrated Child Development Services" – excess of Rs.57792.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.458820.00 lakhs) was due to requirement of additional funds under supplementary Nutrition Programme and to meet committed expenditure.

(b) "Social Welfare – Correctional Services - Prevention and Control of Juvenile Maladjustment" - excess of Rs.466.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1660.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for committed liabilities.

(III) Under one head excess of Rs.55.69 lakhs occurred constituting 133 percent of the sanctioned provision.